

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक.....C/2257/
तीन-8-6/23 भाग-13


जबलपुर, दिनांक : 08 मई, 2019

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
3. विशेष न्यायाधीश, राज्य के समस्त
4. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
5. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
7. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
8. सहायक(यात्रा भत्ता)/यात्रा भत्ता लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
9. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

विषय : स्थानांतरण अनुदान के रूप में अंतरिम राहत राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि म.प्र. शासन, विधि विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3584/21ब(एक) दिनांक 8.3.2011 के अनुसार एक बार भुगतान किये टीए देयकों का पुनरीक्षित देयक तैयार नहीं किये जा सकते हैं। विधि विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1771/21-ब(एक) दिनांक 4.4.19 के अनुसार भविष्य में न्यायिक अधिकारियों के नए वेतनमान के संबंध में विधि विभाग, भोपाल से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उनके अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही कार्यवाही की जावेगी ।


7.5.19
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

